



अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 27 माघ, 1947 (श०)
16 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

| | | | | |
|-----|---------------------------|----|----|----|
| (1) | गन्ना उद्योग विभाग | .. | .. | 01 |
| (2) | गृह विभाग | .. | .. | 01 |
| (3) | उद्योग विभाग | .. | .. | 01 |
| (4) | सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग | .. | .. | 01 |
| (5) | सिविल विमानन विभाग | .. | .. | 01 |

कुल योग — 05

उत्पादन की व्यवस्था

33. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 को प्रकाशित शीर्षक "आधी कर दी खरीद तो बंद हुआ एथेनॉल प्लांट, 300 बेरोजगार" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला में बिहार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकार के द्वारा प्रत्येक दिन एक लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता वाला लगभग दो सौ करोड़ की लागत से एथेनॉल का प्लांट पूरे जनवरी, 2026 में बंद रहेगा, जिससे बिहार सरकार को प्रत्येक माह इससे दो सौ करोड़ रुपये का नुकसान एवं किसानों के व्यवसाय और कामगारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कौन-सी व्यवस्था कर सालों भर उत्पादन क्षमता में कटौती किये बिना एथेनॉल का उत्पादन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

34. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में गाँव से लेकर शहर तक हर हिस्से में सूखे नशे जैसे स्मैक, सुलेशन, व्हाइटनर एवं अन्य नशे की सामग्री का सेवन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण प्रदेश के युवा गंभीर बीमारी एवं मौत के शिकार हो रहे हैं साथ ही नशे के आदि युवा नशीले पदार्थ के नहीं मिलने से घरेलू हिंसा के साथ अन्य आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में बढ़ रहे सूखे नशे को नियंत्रित करने के लिए कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पत्रकारों को पेंशन

35. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पत्रकार पेंशन नियमावली, 2015 है, जिसमें संशोधन कर पत्रकार पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि 600 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पात्रता अनुसार बिहार में 20 साल तक पत्रकारिता करने वाले एवं जिनका पी0एफ0 या टी0डी0एस0 मीडिया कम्पनी के माध्यम से कट रहा हो तथा उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो, उन्हीं पत्रकारों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके कारण सिर्फ पटना के 75 पत्रकारों को ही पेंशन मिलना शुरू हुआ है, जबकि बिहार में पी0एफ0 एवं टी0डी0एस0 से वंचित सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जे0 पी0 सेनानी पेंशन के अनुरूप सेवानिवृत्त सभी पत्रकारों को पेंशन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फ्लाइट की व्यवस्था

36. मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, सिविल विमानन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025 में बिहार से मक्का-मदीना हज पर जाने वाले यात्रियों का निर्धारित लक्ष्य लगभग 12500 रखा गया था जिसके विरुद्ध में केवल 2378 यात्री ही हज पर गये ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बिहार से फ्लाइट की उचित व्यवस्था नहीं होने के फलस्वरूप हाजियों को कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई इत्यादि एयरपोर्ट से फ्लाइट की व्यवस्था कराई जाती है, जिससे हाजियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण बिहारवासी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हज पर नहीं जा पाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के हाजियों को जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट बिहार, पटना से ही फ्लाइट की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ईख बोर्ड का गठन

37. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ईख बोर्ड का गठन बिहार में 20 वर्षों से अधिक समय से नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनियम अधिनियम, 1981 के अनुसार ईख बोर्ड के गठन से किसानों की रक्षा और चीनी कारखानों पर नियंत्रण किया जाता है, जो वर्तमान में सक्रिय नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ईख बोर्ड का गठन कबतक करने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 16 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026